राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषयः–ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के 4 माह के बिजली के बिल माफ करने बाबत।

राज्य में हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2014 को राहत पैकेज जारी किया गया है। इसके बिन्दु संख्या 2 में जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राहत पैकेज की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार ओलावृष्टि से जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है उनके 4 माह के विद्युत बिल माफ किये जाने की कार्यवाही करावें।

28/2/14

शासन सचिव

शासन सचिव,

ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

एफ. 1(2) आ.प्र. एवं सआ/ओलावृष्टि/2014/ 1820

जयपुर,दिनांक 28-2-2014